

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/ 346

दुर्ग, दिनांक 28/09/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक: 162

दिनांक: 23/09/2026

श्री निजानंद सिंह ठाकुर
ग्राम-बोटेबोड, तहसील-नांदघाट,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
बी.पी. नं. 1008745911
मोबाइल नं. 6260257885

आवेदक

विरुद्ध

आवेदकगण

- कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.),
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेमेतरा।
- सहायक अभियंता (उपसंभाग),
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नवागढ़।

आदेश

(आज दिनांक 23/09/2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक का संक्षिप्त कथन है कि वह ग्राम-बोटेबोड, तहसील-नांदघाट, जिला-बेमेतरा का निवासी है तथा उसके नाम से बी.पी. नं. 1008745911 का विद्युत कनेक्शन दर्ज है।

आवेदक के अनुसार वर्ष 2020 में उसने लगभग 4 एकड़ भूमि में मछली पालन हेतु तालाब का निर्माण कराया था तथा तालाब में जल आपूर्ति एवं मछली पालन के उद्देश्य से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था। उसके अनुसार विद्युत लाइन के खंभे एवं केबल चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। इस संबंध में वर्ष 2022 में विभागीय कार्यालय, नवागढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर विद्युत व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया गया, किंतु विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई।

आवेदक का यह भी कथन है कि उसके परिसर में विद्युत मीटर स्थापित नहीं किया गया, विद्युत का उपयोग के अंतर्गत छूट प्रदान की नों पंपों की स्वीकृत क्ष के अंतर्गत छूट प्रदान की भी नहीं हुआ, इसके बावजूद विभाग द्वारा लगातार बिल जारी किए जाते रहे। वर्तमान में लगभग ₹68,160/- के अंतर्गत टैरिफ को हेतु जारी कर से की राशि का बिल जारी किया गया तथा उसके भुगतान हेतु दबाव बनाया गया।

आवेदक ने यह भी कथन किया है कि बिल में छूट अथवा समाधान के नाम पर उससे ₹6,470/- की राशि जमा कराई गई, किंतु इसके बाद भी शेष राशि की मांग की जा रही है।

आवेदक के अनुसार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण तालाब में आवश्यक जल की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹20,00,000/- मूल्य की मछलियां नष्ट हो गईं। इसके अतिरिक्त तालाब को पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित करने में लगभग ₹10,00,000/- की आर्थिक क्षति हुई।

आवेदक द्वारा दिनांक 19.05.2026 को पुनः संबंधित अभियंता से मिलकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने, मीटर स्थापित करने तथा गलत बिल निरस्त करने का अनुरोध किया गया, किंतु उसके अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।

अतः आवेदक द्वारा फोरम से निम्न राहत की मांग की गई है :-

1. प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. बिना मीटर एवं बिना विद्युत उपयोग के जारी किए गए बिल को निरस्त किया जाए।
3. ₹6,470/- की जमा राशि के संबंध में उचित राहत प्रदान की जाए।
4. मछली पालन में हुई लगभग ₹20,00,000/- की क्षति की प्रतिपूर्ति कराई जाए।
5. तालाब को पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित करने में हुई लगभग ₹10,00,000/- की आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कराई जाए।
6. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।
7. भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

2. अनावेदकगण का कथन

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक श्री निजानंद सिंह ठाकुर द्वारा कृषि उपयोग हेतु दिनांक 04.06.2019 को दो विद्युत कनेक्शनों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। प्राक्कलन स्वीकृत होने एवं कार्य विस्तार पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 11.03.2022 को दोनों कृषि पंप कनेक्शन जारी किए गए। दोनों कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. बी.पी. नं. 1008745640
2. बी.पी. नं. 1008745911

दोनों पंपों की स्वीकृत क्षमता 5 एच.पी. है। प्रथम कनेक्शन बी.पी. नं. 1008745640 पर के.जे.जे.वाई. योजना के अंतर्गत छूट प्रदान की जा रही है, जबकि द्वितीय कनेक्शन बी.पी. नं. 1008745911 को फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत टैरिफ कोड 0125 / LV-3 AGF में बिल किया जा रहा है।

अनावेदकगण के अनुसार बी.पी. नं. 1008745911 का कनेक्शन मछली पालन हेतु नहीं, बल्कि कृषि प्रयोजन हेतु जारी किया गया है तथा शासन के प्रचलित प्रावधान के अनुसार ₹200/- प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से बिलिंग की जा रही है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग विवरण के अनुसार समाधान योजना के अंतर्गत आवेदक को ₹17,884/- की छूट प्राप्त हुई। छूट के पश्चात देय राशि ₹51,782/- रही, जिसमें से आवेदक द्वारा अप्रैल 2026 में ₹6,470/- का भुगतान किया गया। अतः ₹45,312/- की राशि शेष बकाया है।

अनावेदकगण ने यह भी बताया कि संबंधित कनेक्शन के संबंध में कनेक्शन जारी होने के पश्चात से मार्च 2026 तक कभी भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण बकाया राशि बढ़ी। समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त छूट एवं भुगतान को समायोजित करने के पश्चात शेष भुगतान हेतु योग्य राशि ₹45,312/- है।

3. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, उभय पक्षों के कथनों एवं दस्तावेजों के आधार पर निम्न तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं :-

1. आवेदक श्री निजानंद सिंह ठाकुर के नाम से ग्राम-बोटेबोड, तहसील-नांदघाट, जिला-बेमेतरा में दो कृषि पंप कनेक्शन दर्ज हैं।
2. उक्त कनेक्शनों के बी.पी. क्रमांक क्रमशः 1008745911 एवं 1008745640 हैं।
3. दोनों कनेक्शन 5 एच.पी. क्षमता के हैं तथा दिनांक 11.03.2022 को जारी किए गए थे।

4. विचारणीय प्रश्न

उभय पक्षों के कथनों, उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :-

1. क्या बी.पी. नं. 1008745911 के कृषि पंप कनेक्शन की बिलिंग अनावेदकगण द्वारा नियमानुसार की गई है?
2. क्या आवेदक द्वारा मछली पालन एवं तालाब को पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित करने से हुई कथित आर्थिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग स्वीकार योग्य है?
3. क्या विद्युत लाइन के चोरी हुए तार को पुनः स्थापित करने हेतु अनावेदकगण को कोई निर्देश दिया जाना आवश्यक है?

5. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों, उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग विवरण एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, यह तथ्य सामने आता है कि एक प्रकार तार चोरी होने की वास्तविकता थी, यह तथ्य सामने आता है कि एक

5.1 कनेक्शन का प्रयोजन

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 04.06.2019 को दोनों विद्युत कनेक्शनों के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन कृषि दर्शाया गया था।

यदि विद्युत कनेक्शन विशेष रूप से मछली पालन अथवा कृषि-संबद्ध गतिविधि के लिए लिया जाना था, तो संबंधित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जाना अपेक्षित था। उपलब्ध अभिलेखों में दोनों कनेक्शनों के प्रयोजन के रूप में कृषि अंकित है।

आवेदक द्वारा मछली पालन हेतु विद्युत कनेक्शन लिए जाने के समर्थन में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा मत्स्य पालन विभाग से संबंधित कोई प्रमाणिक दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त लोड में आवेदक मछली पालन का कार्य कर रहा था।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि बी.पी. नं. 1008745911 का कनेक्शन मछली पालन के प्रयोजन से जारी किया गया था।

5.2 स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

फोरम के निर्देशानुसार अनावेदकगण द्वारा संबंधित कृषि पंप स्थल का निरीक्षण कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर अधियारा श्री प्रमोद राजपूत, पिता श्री बसदेव राजपूत द्वारा पिछले लगभग तीन वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा है।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परिसर में दो सबमर्सिबल पंप पाए गए। बी.पी. नं. 1008745911 से संबंधित पंप की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में चालू पाई गई। दूसरे कृषि पंप, बी.पी. नं. 1008745640 की विद्युत आपूर्ति हेतु लगाए गए कैंबल के चोरी होने की जानकारी भी स्थल पर प्राप्त हुई।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि दूसरे पंप को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए पहले पंप की लाइन से वैकल्पिक रूप से विद्युत व्यवस्था की गई है।

5.3 तार चोरी के संबंध में

आवेदक के अनुसार विद्युत लाइन/कैंबल विद्युत कनेक्शन के स्थापित होने के लगभग एक वर्ष पश्चात चोरी हुआ था, जबकि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा लगभग 10 माह पूर्व तार चोरी होने की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है।

5.4 बिलिंग की वैधता

बी.पी. नं. 1008745911 के संबंध में बिलिंग जारी किया गया है तथा इसे 5 एच.पी. स्वीकृत भार के फोरम के समक्ष प्रस्तुत छूट प्रदान की गई।

द्वारा अप्रैल 2026

उपलब्ध अभिलेखों

मार्च 2026 तक

अतः केवल

में व्यव

निरस

पं

रिपोर्ट
स प्रकार तार चोरी होने की वास्तविक तिथि के संबंध में उभय पक्षों के कथनों में अंतर पाया जाता है।
तथापि, यह तथ्य सामने आता है कि एक कृषि पंप की विद्युत लाइन का केबल चोरी हुआ है।

5.4 बिलिंग की वैधता

बी.पी. नं. 1008745911 के संबंध में अनावेदकगण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कनेक्शन कृषि प्रयोजन हेतु जारी किया गया है तथा इसे फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत टैरिफ कोड स्ट-3 AGF 0125 में रखा गया है।

5 एच.पी. स्वीकृत भार के आधार पर ₹200/- प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से बिलिंग की गई है।

फोरम के समक्ष प्रस्तुत बिलिंग गणना के अनुसार समाधान योजना के अंतर्गत आवेदक को ₹17,884/- की छूट प्रदान की गई। छूट के पश्चात देय राशि ₹51,782/- रही, जिसमें से ₹6,470/- का भुगतान आवेदक द्वारा अप्रैल 2026 में किया गया। इस प्रकार ₹45,312/- की राशि शेष रहती है।

उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित कनेक्शन के संबंध में कनेक्शन जारी होने के पश्चात से मार्च 2026 तक नियमित भुगतान नहीं किया गया था।

अतः केवल इस आधार पर कि आवेदक द्वारा वर्तमान में पंप का उपयोग नहीं किए जाने अथवा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने का कथन किया गया है, फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत नियमानुसार देय राशि को पूर्णतः निरस्त किए जाने का आधार स्थापित नहीं होता।

फोरम के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों एवं बिलिंग गणना के परीक्षण से ₹45,312/- की शेष देय राशि की बिलिंग में कोई स्पष्ट विसंगति नहीं पाई गई।

5.5 मुआवजे की मांग

आवेदक द्वारा मछली पालन में लगभग ₹20,00,000/- तथा तालाब को पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित करने में लगभग ₹10,00,000/- की आर्थिक क्षति का दावा किया गया है।

किन्तु आवेदक द्वारा मछली पालन किए जाने से संबंधित कोई स्वतंत्र एवं प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा।

इसी प्रकार तालाब को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाणिक अभिलेख अथवा अन्य विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक द्वारा मछली पालन किए जाने के संबंध में कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

इसलिए आवेदक द्वारा मांगी गई ₹20,00,000/- एवं ₹10,00,000/- की मुआवजा राशि स्वीकार जाने योग्य नहीं है।

5.6 बकाया राशि के भुगतान के संबंध में

फोरम यह भी ध्यान में रखता है कि आवेदक द्वारा समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया जा चुका है तथा ₹6,470/- की राशि जमा की जा चुकी है।

यदि आवेदक ₹45,312/- की शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ है, तो वह प्रचलित नियमों के अनुसार किस्तों में भुगतान हेतु अनावेदकगण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे आवेदन पर अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाना उचित होगा।

6. निष्कर्ष

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् परीक्षण के पश्चात फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :-

1. बी.पी. नं. 1008745911 का विद्युत कनेक्शन कृषि प्रयोजन हेतु जारी किया गया है तथा इसकी फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत की गई बिलिंग उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार नियमानुसार है।
2. समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹17,884/- की छूट तथा ₹6,470/- के भुगतान के समायोजन के पश्चात ₹45,312/- की शेष राशि देय है।
3. आवेदक द्वारा मछली पालन में ₹20,00,000/- तथा तालाब को कृषि भूमि में परिवर्तित करने में ₹10,00,000/- की क्षति का दावा प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।
4. संबंधित कृषि पंप की चोरी हुई विद्युत लाइन/केबल को नियमानुसार पुनः स्थापित/दुरुस्त करने हेतु अनावेदकगण द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
5. आवेदक शेष बकाया राशि को किस्तों में जमा करने हेतु, यदि नियमों के अंतर्गत संबंधित अनावेदक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :-

1. बी.पी. नं. 1008745911 के संबंध में अनावेदकगण द्वारा की गई फ्लैट रेट बिलिंग को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही पाया जाता है। समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त छूट एवं ₹6,470/- के भुगतान को समायोजित करने के पश्चात ₹45,312/- की शेष राशि देय रहेगी।

आवेदक द्वारा बिना विद्युत उपयोग के बिल जारी किए जाने के आधार पर संपूर्ण बकाया राशि निरस्त करने की मांग स्वीकार नहीं की जाती।

3. आवेदक द्वारा मछली पालन में ₹20,00,000/- तथा तालाब को पुनः कृषि भूमि में परिवर्तित करने में ₹10,00,000/- की कथित क्षति के लिए मांगा गया मुआवजा, पर्याप्त प्रमाण के अभाव में, स्वीकार नहीं किया जाता।

4. अनावेदकगण यह सुनिश्चित करें कि चोरी हुए विद्युत तार/केबल के स्थान पर नियमानुसार आवश्यक विद्युत लाइन/केबल स्थापित करने तथा संबंधित कृषि पंप की वर्तमान वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. यदि आवेदक ₹45,312/- की शेष देय राशि का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हो, तो वह प्रचलित नियमों के अनुसार किस्तों में भुगतान हेतु संबंधित अनावेदक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अनावेदकगण उक्त आवेदन पर नियमानुसार उचित कार्यवाही करें।

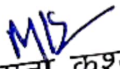
6. आवेदक की शेष अन्य मांगें, जिनका इस आदेश में पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर स्वीकार नहीं की जाती हैं।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित किया गया।

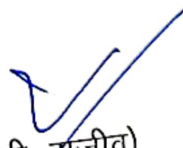
9. प्रकरण निराकृत किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।


(ममता कश्यप)

सदस्या

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग


(पी.वी. संजीव)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

01/11